अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 10(697) परि/पीडी/बजट/2014/31444 जयपुर, दिनांक 04-12-15

समस्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
समस्त, जिला परिवहन अधिकारी।

विषयः– सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत की जाने वाली गतिविधियों एवं बजट उपयोग करने के सम्बन्ध में निर्देश।

जैसा कि विदित है राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 को सड़क सुरक्षा वर्ष घोषित किया गया है। सडक सुरक्षा वर्ष के दौरान प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा की जाने वाली सड़क सुरक्षा गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिये राशि 224.15 लाख रू. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वीकृत राशि का उपयोग वर्ष के शेष रहे समय में निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप व्यय किया जाना है। कार्यक्रम/गतिविधियां अविलम्ब प्रारम्भ की जाकर मार्च 2016 के द्वितीय सप्ताह से पूर्व कार्ययोजना में दिये गये लक्ष्य अनुसार संपादित की जानी हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2016 के दौरान की जाने वाली गतिविधियां/कार्यक्रम भी इस स्वीकृत राशि में ही कार्ययोजना में दिये गये मद अनुसार आयोजित करें।

वर्ष के दौरान की जाने वाली गतिविधियों/कार्यक्रमों को संपादित करने में यदि किसी प्रकार का संशय हो तो अधोहस्ताक्षकर्ता से दूरभाष तथा ई–मेल addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in अथवा roadtoroadsafety@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नः स्वीकृति एवं संशोधित कार्ययोजना।

(सत्तार खान)
अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 10(697) परि/पीडी/2014/31258 जयपुर, दिनांक 3/12/15

आदेश

स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक दिनांक 24.09.2015 में लिए गए निर्णयानुसार एवं संयुक्त शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0, जयपुर के पत्रांक प. 6(ड)लेखा/RTIDF/डीएलबी/2014–15/12220–230 दिनांक 04.11.2015 तथा संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) के पत्रांक प.4(116) वित्त–1/(1)आ.व्य./ 2014 दिनांक 06.11. 2015 के अनुसरण में सड़क सुरक्षा वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत 551.00 लाख रूपये में से सड़क सुरक्षा गतिविधियों/कार्यक्रमों हेतु निम्नांकित प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में किए गए व्यय के चुकारे हेतु उनके सम्मुख अंकित अनुसार राशि 224.15 लाख रू. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

(रू. लाखों में)

Road Safety Year 2015-16 Consolidate Budget allocation for RSC,HQ/RTOs/DTOs											
Name of the RTOs/DTOs	Training			Work shops	Awareness program at Gram panchayat		Cultural Activities	Hoardings & Desiging	55/60 inch LED and Laptop	Media Publicity	Total
	Driver Refresher	Students	Traffic offenders		Reflecti ve tape	Print materials					
RTO Alwar	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Bhiwadi	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Bharatpur	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Dholpur	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Ajmer	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Beawar	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Deedwana	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Nagour	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Kishangarh	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Kekdi	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Tonk	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Bikaner	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Hanumangarh	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Ganganagar	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Nokha	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Nohar	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Chittorgarh	-	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	4.65
DTO Bhilwada	-	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	2.945
DTO Shahpura	-	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	2.945
DTO Pratapgarh	-	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	2.945
RTO Dausa	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Swai Madhopur	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Karauli	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205

RTO Jaipur	0.39	0.29	1.245	5.00	0.20	1.60	15.00	-	2.00	-	25.725
DTO Dudu	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Kotputli	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO choumu	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Shahpura	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Jodhpur	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Phalaudi	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Jaisalmer	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Barmer	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Balotara	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Kota	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Bundi	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Baran	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Jhalawar	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Ramganjmand	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Pali	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Sirohi	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Aburoad	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Jalore	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Bhinmal	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Sikar	0.39	0.20	0.45		0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Jhunjhunu	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Churu	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Sujangarh	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Udaipur	-	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	4.65
DTO Rajsamand	-	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	2.945
DTO Dungarpur	-	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	2.945
DTO Banswara	-	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	2.945
RSE HQ	-	-		-	-	2.20	4.39	8.52	3.19	2.03	20.33
Total	12.48	8.34	20.82	5.00	8.25	14.80	51.59	8.52	92.32	2.03	224.15

(अक्षरे दो करोड़ चौबीस लाख पन्द्रह हजार रू. मात्र)

उक्त राशि निम्नांकित लेखा मदों से आहरित की जावेगी –

मांग संख्या 29

3055 – सड़क परिवहन
00 –
800 – अन्य व्यय
(07) – राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि
[04] – परिवहन विभाग के माध्यम से
12 – सहायतार्थ अनुदान (आयोजना) 60.26 लाख रू.

मांग संख्या 30

3055 – सड़क परिवहन
00 –
796 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(07) – राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि
[01] – परिवहन विभाग के माध्यम से
12 – सहायतार्थ अनुदान (आयोजना) 68.13 लाख रू.

मांग संख्या 51

3055 – सड़क परिवहन

00 –

789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संगठक योजना

(07) – राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि

[01] – परिवहन विभाग के माध्यम से

12 – सहायतार्थ अनुदान (आयोजना) 95.76 लाख रू.

समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2015–16 में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित संशोधित संलग्न कार्ययोजना में अंकित गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने हेतु निर्देशित किया जाता है। आवंटित राशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांकः एफ 10(697) परि/पीडी/2014 /31259-67 जयपुर, दिनांक 3/12/15

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3 विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4 निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
5 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
6 निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, जयपुर ।
8 उप शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप–5) विभाग जयपुर।
9 वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यालयों को बजट आवंटन की कार्यवाही करावें।
10अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)।
11संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....।
12संबंधित कोषाधिकारी.....।
13 बजट/अंक मिलान शाखा मुख्यालय।
14कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
15बजट/अंक मिलान शाखा मुख्यालय।
16लेखाधिकारी (भुगतान/स्टोर) मुख्यालय।
17रक्षित पत्रावली।

(डॉ मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव (मुख्यालय)

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

सड़क सुरक्षा वर्ष 2015–16

हेतु

संशोधित सड़क सुरक्षा कार्य योजना 2015–16 (शेष कार्यों हेतु)

(Road Safety Action Plan 2015-16)

''सड़क सुरक्षा एक नारा नहीं है, यह तो जीने का एक तरीका है।''

स्वच्छ राजस्थान सुरक्षित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान

विवरणिका

- प्रस्तावना

1. सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं प्रशिक्षण
   - 1.1 लाईसेंस आवेदकों एवं ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को प्रशिक्षण
   - 1.2 व्यावसायिक वाहन चालकों को सुरक्षित चालन का प्रशिक्षण
   - 1.3 विद्यालयों में सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. ग्राम पंचायतों में सड़क सुरक्षा जन जागृति कार्यक्रम
   - 2.1 रिपोर्ट प्रकाशन
   - 2.2 रिफलेक्टिव टेप
   - 2.3 अन्य प्रिंटिंग सामग्री
   - 2.4 सड़क सुरक्षा सम्बन्धी पुस्तकों यथा पॉकेट बुक, रोड़ टू रोड़ सेफ्टी, सड़क सुरक्षा नियमावली का प्रकाशन
3. राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा वर्कशॉप का आयोजन
4. सड़क सुरक्षा जागरूकता सम्बन्धी गतिविधियां यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, कविता पाठ, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं, सेमिनार, वर्कशॉप आदि (राज्य एवं जिला स्तरीय)
5. होर्डिंग्स एवं डिजाइनिंग
6. सभी परिवहन जिलों के स्तर पर लाईसेंस आवेदको/ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालो को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी
7. इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया प्लान

प्रस्तावना :–

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की दिनांक 24.09.2015 को आयोजित हुई बैठक में वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना हेतु राशि 551.00 लाख रू. का अनुमोदन किया गया था।

इस वर्ष की सड़क सुरक्षा कार्ययोजना में कुछ कार्य यथा सड़क सुरक्षा गीत निर्माण, ऑडियो सीडी एवं वीडियो डीवीडी आदि टोहास द्वारा प्रायोजित होने के कारण इससे सम्बन्धित पूर्व में प्रस्तावित एवं अनुमोदित राशि व्यय नहीं हुई है।

वर्ष 2015–16 में अब तक सड़क सुरक्षा गतिविधियों पर किये गये व्यय एवं शेष राशि का विवरण

1. ग्राम पंचायतों में जन जागृति अभियान हेतु आवंटित अनुमानित बजट, व्यय, शेष राशि

गतिविधि/कार्यक्रम	अनुमानित राशि	व्यय राशि	शेष राशि
ग्राम पंचायतों पर 2 अक्टूबर 2015 को वितरित किये गये 10,500 किटों एवं अतिरिक्त प्रकाशन सामग्री के लिए राशि	3,23,92,500	3,15,60,280	8,32,220
प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय हेतु ट्रेक्टर ट्रोली, ऊँट/बैलगाड़ी, रिक्शा, साइकिल आदि पर रिफ्लेक्टर हेतु	8,25,000	-	8,25,000
ऐनीमेशन लघु फिल्मस/वीडियो एवं गीत/रेड़ियो जिंग्ल्स निर्माण एवं प्रिटिंग सामग्री/ रिपोर्ट इत्यादि डिजाइनिंग हेतु	7,82,500	2,28,000	5,54,500
अन्य आवश्यक सामग्री प्रिन्टिग हेतु	93,000		93,000
बजट का समग्र योग	**3,40,93,000**	**3,17,88,280**	**23,04,720**

2. इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया पर प्रचार–प्रसार हेतु अनुमानित बजट एवं व्यय राशि

मीडिया	अनुमानित राशि	व्यय राशि	शेष राशि
प्रिंट मीडिया में 1 अक्टूबर को 6 प्रमुख समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, पंजाब केसरी, राष्ट्रदूत, समाचार जगत) में 16×16 वर्ग सेमी. दिया गया	11,00,000	6,24,667	2,03,050
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 15 रेडियो जिंग्ल्स का प्रसारण आकाशवाणी–प्रसार भारती/एफ.एम. चैनल (तड़का 95/माई एफ.एम. 94.3)		2,72,283	
कुल	**11,00,000**	**8,96,950**	**2,03,050**
समग्र योग तालिका 1 + तालिका 2	**3,51,93,000**	**3,26,85,230**	**25,07,770**
शेष राशि	**551.00 - 3,26,85,230 = 2,24,14,770**		

RTDIF द्वारा स्वीकृत राशि 551.00 लाख रू. में से ग्राम पंचायतों में सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान हेतु किट सामग्री तैयार करने एवं इलेक्ट्रॉनिक/ प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार पर कुल 3,26,85,230 रू. व्यय हो चुके है, जिनका भुगतान प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2015–16 में शेष राशि

2,24,14,770 (224.15 लाख) को इसी वर्ष में सड़क सुरक्षा गतिविधियों पर निम्नानुसार व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी कार्ययोजना इस प्रकार है :–

क्रं.सं.	गतिविधियां	अनुमानित बजट (लाख में)
1.	**प्रशिक्षण**	
	1.1लाईसेंस आवेदकों एवं ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को प्रशिक्षण	20.82
	1.2 वाहन चालकों के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग	12.48
	1.3 विद्यार्थियों का प्रशिक्षण	8.34
	कुल	**41.64**
2.	**ग्राम पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम**	
	2.1 रिपोर्ट प्रकाशन	1.75
	2.2 रिफलेक्टिव टेप	8.25
	2.3 अन्य प्रिंटिंग सामग्री हेतु	0.45
	2.4 सड़क सुरक्षा सम्बन्धी पुस्तकों यथा पॉकेट बुक, रोड़ टू रोड़ सेफ्टी, सड़क सुरक्षा नियमावली का प्रकाशन	12.60
	कुल	**23.05**
3.	सड़क सुरक्षा वर्कशॉप (राज्य एवं प्रादेशिक स्तर पर)	5.00
4.	सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी गतिविधिया यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, कविता पाठ, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएँ, सेमिनार, वर्कशॉप आदि (राज्य एवं जिला स्तरीय)	51.59
5.	होर्डिंग्स एवं डिज़ाइनिंग	8.52
6.	सभी परिवहन जिलों के स्तर पर लाईसेंस आवेदको/ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों को सडक सुरक्षा सम्बंधी जानकारी देने हेतु टी.वी. 55/60'', लैपटोप, डीवीडी रोम बेतार माईक के साथ साउंड सिस्टम, प्रशिक्षण मॉडयूल्स, प्रशिक्षण कक्ष की साज–सज्जा एवं फर्नीचर इत्यादि पर व्यय	92.32
7.	इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया पर प्रचार–प्रसार (कुल बजट का 2 प्रतिशत)	2.03
	कुल बजट	**224.15**

224.15 लाख रूपये की कार्ययोजना का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. **सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं प्रशिक्षणः–** यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं सहित सड़क उपयोगकर्ताओं यथा छात्र–छात्राऐं, शिक्षक, वाहन चालक और व्यवसायिक वाहन चालक लाईसेंस नवीनीकरण कराने वाले आवेदकों आदि को शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित हैं।

1.1 लाईसेंस आवेदकों एवं ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को प्रशिक्षण :–

- **लाईसेंस आवेदकों को ट्रेनिंग :–**

यह सैद्धांतिक पद्धति पर आधारित होता है जो कि इंसान अपने आप देखकर, आसपास के लोगों से, अपने माता पिता से सीखता है और दुर्भाग्य से ये सब सीखा हुआ नकारात्मक और खतरनाक होता है। सीखा हुआ व्यवहार सही ट्रेनिंग से बदला जा सकता है।

उद्देश्य–

- लाईसेंस आवेदकों को सही ट्रेनिंग से तैयार करना और उनका पिछला सीखा हुआ सही करवाना।
- सभी लाईसेंस आवेदकों को सड़क सुरक्षा शिक्षा व सुरक्षित ड्राइविंग के सिलेबस से परिचय करवाना।
- वर्तमान सड़क सुरक्षा संकट को सामने लाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- उन्हें विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ का दोस्त बनवाना और उन्हें अच्छा प्रशिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करना।

- **ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को प्रशिक्षण :–**

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की पालना एवं सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे वाहन चालक जो सड़क नियमों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं। जिसमें भी विशेष तौर पर दो पहिया वाहनों पर हेलमेट नही लगाना, चार पहिया वाहनों पर सीट बेल्ट नही लगाना आदि ऐसे सभी सड़क सुरक्षा से जुड़े ट्रेफिक अपराधों के उल्लंघनकर्ताओं का सभी RTOs / DTOs कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उपयुक्त स्थान पर 2 घन्टे का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित हैं।

अवधि :– 2 घंटे

टार्गेट ग्रुप :– सभी व्यावसायिक चालक लाईसेंस नवीनीकरण आवेदकों एवं ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनकर्ता

लक्ष्य – प्रत्येक प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों व्यावसायिक चालक लाईसेंस नवीनीकरण कराने वाले उन सभी आवेदकों एवं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघनकर्ताओं को 2 घंटे का प्रशिक्षण 100–100 के बैच में दिया जाना प्रस्तावित है।

सिलेबस एवं प्रशिक्षण की कार्यप्रणाली :–

व्यावसायिक लाईसेंस नवीनीकरण आवेदकों एवं ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को सड़क की भाषा यथा रोड सिगनल, रोड चिन्ह, रोड मार्किंग, रोड सेंस, सड़क के अधिकार एवं वाहनों के रखरखाव आदि सड़क एवं वाहन सुरक्षा के नियम पॉवर पॉइंट प्रजेन्टेशन एवं वीडियो/फिल्म दिखाकर मोटरवाहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक के निर्देशन में प्रशिक्षक के माध्यम से 100–100 के बैच में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है तत्पश्चात् दूसरे चरण में उपयुक्त स्थानों पर व्यावसायिक वाहनों के स्थायी लाईसेंस के नवीनीकरण से पूर्व यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया जा सकता है। सभी कार्यालयों में एक दिन में 3 से 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का आवश्यकतानुसार कलैण्डर जारी कर प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित हैं। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपकरण यथा 55/60'' LED/TV, LAPTOP, DVD ROM, SOUND

SYSTEM आदि के लिए अलग से प्रत्येक कार्यलय हेतु बजट दिया जाना पूर्व में ही प्रस्तावित है।

ट्रेफिक नियम उल्लंघनकर्ता प्रशिक्षणार्थी/व्यावसायिक चालक लाइसेंस आवेदकों हेतु प्रशिक्षण के लिए अनुमानित व्यय

क्र.सं.	मद	मात्रा	अनुमानित व्यय	कुल अनुमानित राशि एक बैच के लिए (100)
1	पॉकेट बुक प्रकाशन व्यय	1	5.50 /– प्रति	550/–
2	प्रशिक्षक प्रशिक्षण फीस	1	3 /– प्रति	300/–
3	कार्यालय सहायक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	2 /– प्रति	200/–
4	मूल्यांकन पत्र, प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र, स्टेशनरी आदि प्रकाशन व्यय	1	2.50 /– प्रति	250/–
5	प्रशिक्षण हॉल किराया एवं मेन्टिनेन्स		2 /– प्रति	200/–
योग प्रति प्रशिक्षणार्थी और प्रति बैच			**15/–**	**1500/–**
जयपुर को छोड़कर प्रत्येक 11 RTOs के लिए			**11×30 = 330×1500 = 4,95,000/–**	
जयपुर RTOs के लिए			**30+53 = 83×1500 = 1,24,500/–**	
सभी 39 DTOs के लिए			**39×25 = 975×1500 = 14,62,500/–**	
कुल अनुमानित व्यय			**20,82,000/–**	

सीट बेल्ट/हेलमेट आदि नहीं पहनने वाले ट्रेफिक नियम उल्लंघनकर्ताओं को परिवहन विभाग द्वारा बनाये गये चालानों के आधार पर प्रत्येक RTOs/DTOs क्षेत्र में मार्च 2016 तक क्रमशः 30 (जयपुर में 53 अतिरिक्त बैच) एवं 25 बैच यानि कुल 1501 बैच में 1,50,100 उल्लंघनकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुसार प्रशिक्षण स्थलों में वृद्धि की जा सकती है। यह प्रशिक्षण कार्य सड़क सुरक्षा पर कार्य करने वाले एन.जी.ओ. के माध्यम से भी कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण का मोड्यूल निम्नानुसार रखा जाना प्रस्तावित हैः–

क्र. सं.	मॉड्यूल	समय
1.	प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षणार्थियों को बैठाया जाना एवं कार्यालय सहायक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा नामांकन रजिस्टर में इन्द्राज करना।	5 मिनिट
2.	प्रशिक्षक द्वारा सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी।	10 मिनिट
3.	स्लाइड के माध्यम से सुरक्षात्मक ड्राईविंग प्रशिक्षण।	45 मिनिट
4.	सम्बन्धित सड़क सुरक्षा वीडियो/फिल्म का प्रदर्शन	40 मिनिट
5.	मूल्यांकन परीक्षा एवं शपथ	15 मिनिट
6.	परिणाम एवं प्रमाण पत्र वितरण	5 मिनिट

इस प्रकार उपरोक्त मोड्यूल के आधार पर प्रकाशन सामग्री के प्रकाशन हेतु सभी RTOs/DTOs उनको आवंटित बजट में से प्रकाशन हेतु राजस्थान राज्य के केन्द्रीय

सहकारी मुद्रणालय, जयपुर को स्वयं के स्तर पर कार्यादेश जारी कर प्रकाशन कराया जाना प्रस्तावित है।

1.2 व्यावसायिक वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग की ट्रेनिंग :–

इसमें कोई शक नहीं है कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे बड़ी भागीदारी ड्राईवर के व्यवहार की होती है। इसके लिए आवश्यक है कि ट्रेनिंग द्वारा ड्राईवर्स के व्यवहार व सोच को बदला जाये। प्रत्येक जिले के परिवहन अधिकारियों को अपने यहां के कम से कम 1% ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य दिया जाना प्रस्तावित है।

उद्देश्य–

- सडकों पर अनुभवी चालकों के खतरनाक चालन को रोकना।
- चालकों की नकारात्मक सोच को बदलना।
- सड़क के कानून और सड़कों के नये बदलाव जैसे रोड मार्किंग व सिग्नल के प्रति चालकों को जागरुक करना।
- सड़क सुरक्षा के वर्तमान परिदृश्य से चालकों को अवगत कराना।
- शराब पीकर वाहन चलानें के खतरे के बारे में चालकों को अवगत कराना।

टार्गेट ग्रुपः– राज्य में मार्च 2015 तक पंजीकृत व्यवसायिक वाहन जो लगभग 9,00,000 है जिसमें से इस वर्ष 9600 चालकों को जिलेवार रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जानी प्रस्तावित है। प्रत्येक प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों को क्रमशः 300:200 का लक्ष्य दिया जाना प्रस्तावित है। जिसमें प्राथमिकता बालवाहिनी स्कूल बस ड्राईवर्स, टैंकर चालक, बस/ऑटो/ट्रक/टैक्सी चालको आदि को दिया जाना प्रस्तावित हैं।

सिलेबस :–

- Behavioural Practices & stress management
- Defensive Driving Techniques
- Traffic Rules and Regulations
- Emergency handling techniques
- Maintenance & fuel conservation
- Pollution and environment
- Case studies on accidents to analyse the cause of accident, who was at fault and how it could have been averted

- **Budget for Transport Vehicle Driver training (one day) 100 driver/batch**

S.no	Item	Rate	Quantity	Amount
1	Study Material (Brosser, Leaflate, Pocket Book, Prayer & Oth Paper)	10	100	1,000/-
2	Refreshment & Lunch	100	100	10,000/-
4	Hall Rent	-	100	500/-

5	Stationary & Printing	-	100	500/-
6	Faculty	500	2	1000/-
	Total Per Batch		For One Batch	13,000/-
	Total Budget for DTO	2 Prog	13000*2*33=8,58,000	8,58,000/-
	Total Budget for RTO	3 Prog	13000*3*10=3,90,000	3,90,000/-
	State Total			**12,48,000**

इस प्रकार (**6600+3000=9600**) 9600 ड्राइवरों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने में 12,48,000 रूपये की राशि की आवश्यकता होगी।

नोटः— IDTR रेलमगरा क्षेत्र के 2 RTOs एवं 6 DTOs के क्षेत्राधिकार के जिलों के चालकों के अतिरिक्त 10 RTOs एवं 33 DTOs के क्रमशः 3:2 के अनुपात में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित हैं।

1.3 विद्यालय के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम :—

विद्यालय स्तर पर प्राइमरी, सेकंडरी व हायर सेकंडरी तीन लेवल की ट्रेनिंग दी सकती है। 5 वर्ष से ज्यादा के उम्र के बच्चों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर ज्यादा होती है। इसके लिए विद्यालय व पेरेंट्स एक अहम रोल निभाते है।

सिलेबस एवं टारगेट ग्रुप :—

प्राथमिक कक्षा के बच्चे :— इस उम्र के बच्चों को सड़क से संबधित महत्वपूर्ण चीजे जैसे सड़क पर खेलने की मनाही, सुरक्षित साईकिल चलाना, रोड क्रोस करते समय सावधान रहना आदि के बारे में शिक्षकों द्वारा जागरूक करना अतिआवश्यक है। नियम, सिगनल जैसी बड़ी चीजे इस उम्र के बच्चों के लिये पोस्टर के द्वारा समझाना।

10वी तक के बच्चे :— इस स्तर के बच्चों को सड़क सुरक्षा का सामान्य ज्ञान, दुर्घटना के कारण तथा उपाय, हेलमेट व सीट बैल्ट पहनने के पीछे के कारण आदि का ज्ञान 2 घंटे की प्रजेटेंशन के द्वारा अवगत कराना।

12वी तक के बच्चे :— सामान्य सड़क सुरक्षा के नियम, मोटर साईकिल सुरक्षा, दुघर्टना के कारण व उपाय, लाइसेंस की उम्र, ओवरलोडिंग व मोबाईल का उपयोग न करना, वाहन चालन के तरीके, तीव्र गति से वाहन चलाने पर होने वाली हानि इत्यादि से अवगत कराया जाऐगा तथा 2—2 घंटे की प्रजेंटेशन के माध्यम से समझाया जाना प्रस्तावित है।

विद्यालय में सड़क सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम हेतु आवश्यक बजट

Sno	Item	Rate	Quantity	Amount	Total
1	Study material like Leaf lets, Brochures	3/-	250 nos/ school	750/-	
2	Flex 3*5 Fit	12.60/ -Ft	2	190/-	
3	Road sign stikar 11''*17½''	15/-	1	15/-	
4	5 posters with	10/-	2	20/-	

	gaming strips 20''*30''				
3	Video DVD	25	1	25/-	
4	**Budget/ school**	**250 students per school**		**1000/-**	
5	Budget for DTO	1000/-	10 schools	15*1000/-	15,000/-
6	Budget for RTO	1000/-	12 schools	20*1000/-	20,000/-
8	**Budget for state**	**Budget for 39 DTOs** **Budget for Jaipur RTO** **Budget for RTOs Other than jaipur**		**15000*39 + 29000+ 20000*11**	**5,85,000 +29,000+ 2,20,000**
	Total Students =1,33,500			**Total Amount = 8,34,000**	

इस प्रकार 834 स्कूलों में दो लाख आठ हजार पाँच सौ छात्रों को शिक्षित करने में 8,34,000 रूपये की अनुमानित राशि व्यय होगी। यह राशि उपरोक्तानुसार DTOs/RTOs का आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त कार्य सड़क सुरक्षा पर कार्य करने वाले एन.जी.ओ से कराया जाना प्रस्तावित है।

2. ग्राम पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा जन जागृति कार्यक्रम :–

राज्य की लगभग सभी 9900 ग्राम पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा जन जागृति कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2015 को करवाया जा चुका है। जिसमें इस हेतु निर्धारित की गयी अनुमानित राशि 3,40,93,000/- में से 3,17,88,280/- व्यय किये जा चुके है। शेष राशि 23,04,720/- इस वित्त वर्ष में निम्नांकित कार्यो में व्यय किये जाने प्रस्तावित है।

2.1 रिपोर्ट प्रकाशन – 28.09.2015 से 02.10.2015 तक चलाये गये सड़क सुरक्षा सघन जांच एवं जन जागृति अभियान एवं 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में किये गये सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान की विस्तृत रिपोर्ट कॉपरेटिव प्रेस से प्रकाशित करवाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें लगभग 500 कॉपी पर 1,75,000 व्यय होने का अनुमान हैं।

2.2 रिफलेक्टिव टेव – सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन कार्यालयों को गैर मोटर चालित वाहनों पर रिफलेक्टिव टेप लगाने हेतु क्रमशः 20,000 एवं 15,000 रू. यानि कुल 8,25,000 रू. आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

2.3 अन्य प्रिंटिंग सामग्री – सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कोई प्रिन्टिग सामग्री हेतु 45,000 रू. का बजट प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है।

2.4 सड़क सुरक्षा सम्बन्धी पुस्तकों यथा पॉकेट बुक, रोड़ टू रोड़ सेफ्टी, सड़क सुरक्षा शिक्षक नियमावली का प्रकाशन – सड़क सुरक्षा वर्ष के शेष दिनों एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह के अर्न्तगत सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन कार्यालयों को सेमीनार/ वर्कशॉप, स्कूलों आदि में वितरण हेतु हाल ही में प्रकाशित निम्न पुस्तकों को अपने संभागीय क्षेत्र के लिए प्रकाशित करवाने हेतु जयपुर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को रू 1.60 लाख एवं शेष 11 प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को 1–1लाख रू. आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी कॉपरेटिव प्रेस, जयपुर में उपलब्ध है। अतः प्रादेशिक परिवहन अधिकारियो द्वारा सीधे अपने स्तर से कॉपरेटिव प्रेस, जयपुर से अथवा सीधे अपने स्तर पर प्रकाशन करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित दरें निम्नानुसार हैं –

क्र. सं.	पुस्तिका का नाम	अनुमानित दर	मात्रा	अनुमानित व्यय
1.	वाहन चालकों हेतु सड़क सुरक्षा पॉकेट बुक	5/– प्रति	1,00,000	5,00,000
2.	रोड़ टू रोड़ सेफ्टी	49/– प्रति	10,000	4,90,000
3.	सड़क सुरक्षा शिक्षक नियमावली	27/– प्रति	10,000	2,70,000
			कुल योग	**12,60,000**

3. राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन :–

राज्य में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी संस्थाओं यथा वाहन विक्रेता, वित्त पोषक, वर्कशॉप, बॉडी बिल्डर, किट फिटमेंटकर्ता आदि हितधारकों एवं ट्रक/ऑटो/बस/टेक्सी एसोसिएशन, सड़क सुरक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे एन.जी.ओ. आदि की राज्य स्तर पर जयपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यशाला वर्कशॉप कराया जाना प्रस्तावित है। यह वर्कशॉप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त वर्कशॉप में सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सड़क सुरक्षा विषय पर चर्चा–परिचर्चा की जावेगी। इस कार्यशाला में विशेष रूप से राज्य के सभी नवगठित सड़क सुरक्षा एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुमानित बजट 5,00,000 रूपये व्यय किया जाना प्रस्तावित हैं जिसमें प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा सामग्री, सेमीनार हॉल, रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, भोजन एवं व्याख्याता/स्पीकरर्स के आवास एवं यात्रा भत्तो इत्यादि में व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

4. सड़क सुरक्षा जागरूकता सम्बन्धी गतिविधियां यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, कविता पाठ, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं, सेमिनार, वर्कशॉप आदि (राज्य एवं जिला स्तरीय) :–

राज्य एवं जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता सम्बन्धी गतिविधियां यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, कविता पाठ, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं, सेमिनार, वर्कशॉप, प्रशिक्षण मॉडयूल्स तैयार करने आदि का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे एन.जी.ओ. का सहयोग लिया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त सभी कार्यो के लिए लगभग 51.59 लाख रूपयें व्यय होने का अनुमान हैं।

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	जिला परिवहन कार्यालयों के लिए (39)	जयपुर को छोड़कर अन्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों के लिए (11)	जयपुर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय को स्वयं एवं राज्य स्तरीय गतिविधियों के लिए	मुख्यालय पर स्थित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ हेतु
1.	सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, कविता पाठ, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएँ, सेमीनार, वर्कशॉप इत्यादि गतिविधियां	60,000*39=23,40,000	80,000*11=8,80,000	15,00,000	4,39,000
	कुल बजट = 23,40,000 +8,80,000 + 15,00,000+4,39,000=**51,59,000**				

उक्त बजट सम्बन्धित प्रादेशिक/ जिला परिवहन कार्यलय/सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ मुख्यालय को उक्त गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त यह कार्य/गतिविधियाँ एन.जी.ओ. के सहयोग से कराया जाना प्रस्तावित है।

5. होर्डिंग्स एवं डिजाइनिंग :–

सड़क सुरक्षा प्रचार के कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होर्डिंग्स उपयोग में लिया जा सकता है। सामान्य भाषा में इस तरह के अभियान से लोगों की सोच, व्यवहार को बदला जा सकता है जिससे उनकी सड़क सुरक्षा की जानकारी बढ़ेगी। इस अभियान से निम्न उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है–

- किसी समस्या या व्यवहार के लिए जागरुकता बढ़ाना।
- किसी मुद्दे या विषय के बारे में जानकारी के स्तर को बढ़ाना।
- किसी विषय को और ज्यादा विशेष बनाना जिससे आमजन को और ज्यादा संवेदनशील बनाया जा सके।
- पहले से स्थापित विश्वासों और व्यवहार को और सुदृढ़ बनाना।

सड़क सुरक्षा के प्रति आम सड़क उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने एवं उन्हें इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य के सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय क्षेत्र में निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर द्वारा विभिन्न स्थानों पर सरकारी प्रचार प्रसार हेतु निःशुल्क लगे बोर्डों पर उनके आकार के अनुसार होर्डिंग्स/यूनिपोल पर सड़क सुरक्षा से संबंधित फ्लेक्स डी.पी.आर की दर पर लगाया जाना प्रस्तावित है। ऐसे 1035 होर्डिंग्स/यूनीपोल है जिनमें से 240 पर फ्लेक्स लगाया जाना प्रस्तावित है।
डी.पी.आर द्वारा अनुमोदित दर 17.55 रूपये प्रति फीट हैं जिसके अनुसार बजट की आवश्यकता इस प्रकार हैः–

प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय में होर्डिंग्स पर फ्लेक्स लगाने हेतु अनुमानित बजटः–

क्र.सं.	कुल उपलब्ध स्थान/बोर्ड	उपलब्ध साईज एवं प्रस्तावित बोर्ड	दर	DTO	RTO	कुल राशि
1.	285+667=952	यूनिपोल/होर्डिग साइज 20X10 (4 प्रति DTO+7 प्रति RTO) कुल 156+84=240	17.55 रू प्रति फिट	यूनिपोल 20X10*4* 17.55*39= 5,47,560	यूनिपोल 20X10*7* 17.55*12= 2,94,840	8,42,400
2.	फ्लेक्स डिजाईनिंग	यूनिपोल 20X10 होर्डिंग 20X10	10000/ –फ्लेक्स			10,000
कुल		240 होर्डिंग				**8,52,400**

इस प्रकार 240 होर्डिंग/यूनिपोल जो कि सरकारी है पर फ्लेक्स लगाने में कुल राशि 8,52,400 रूपये व्यय होगी।

6. <u>सभी परिवहन जिलों के स्तर पर लाईसेंस आवेदको/ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालो को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपकरण क्रय हेतु बजट</u>:–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की पालना एवं सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे वाहन चालक जो सड़क नियमों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं। जिसमें भी विशेष तौर पर दो पहिया वाहनों पर हेलमेट नही लगाना, चार पहिया वाहनों पर सीट बेल्ट नही लगाना आदि ऐसे सभी सड़क सुरक्षा से जुड़े ट्रेफिक अपराधों के उल्लंघनकर्ताओं का सभी RTOs / DTOs कार्यालय में 2 घन्टे का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित हैं। इस हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर(55/60'' LED/TV, LAPTOP, MIKE WITH SOUND SYSTEM AND DVD ROM ETC.), हेतु क्रय किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 2–2 घण्टे के अन्तराल में आवश्यकतानुसार किया जाना प्रस्तावित है। बजट राशि सम्बन्धित कार्यालयों (RTOs / DTOs) को भेजा जाना प्रस्तावित हैं। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ मुख्यालय (1) को 3.19 लाख रू. तथा आर.टी.ओ.(12) को 2.00 लाख रू प्रति कार्यालय, एवं डी. टी.ओ. (39) को 1.67 लाख रू. प्रति कार्यालय, कुल 52 सेट क्रय करने एवं प्रशिक्षण कक्ष की साज–सज्जा/फर्नीचर इत्यादि हेतु उपरोक्त कार्यालयों को 92. 32 लाख रूपये बजट आवंटित किया जाना प्रस्तावित हैं।

7. <u>इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया पर प्रचार–प्रसार</u> :–

सड़क सुरक्षा का इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाना प्रस्तावित है। सड़क सुरक्षा शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया यथा टेलीविजन, एफ एम, पत्र–पत्रिकाएं एवं रेड़ियो आदि में विज्ञापन दिया जाना प्रस्तावित हैं। जो कुल बजट का 2 प्रतिशत लगभग 11 लाख रूपये में से शेष 2.03 लाख की राशि प्रस्तावित हैं।

विभाग द्वारा किये जाने वाले सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों की उक्त कार्य योजना वर्ष 2015–16 हेतु अनुमानित 224.15 लाख रू. बजट की आवश्यकता होगी। बजट को RTOs/DTOs/RSC में अग्रानुसार आवंटित किया जाना प्रस्तावित हैः–

Road Safety Year 2015-16 Consolidate Budget allocation for RSC,HQ/RTOs/DTOs											
Name of the RTOs/DTOs	Training			Work shops	Awareness program at Gram panchayat		Cultural Activities	Hoardings & Desiging	55/60 inch LED and Laptop	Media Publicity	Total
	Driver Refresher	Students	Traffic offenders		Reflective tape	Print materials					
RTO Alwar	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Bhiwadi	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Bharatpur	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Dholpur	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Ajmer	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Beawar	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Deedwana	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Nagour	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Kishangarh	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Kekdi	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Tonk	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Bikaner	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Hanumangarh	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Ganganagar	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Nokha	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Nohar	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Chittorgarh	-	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	4.65
DTO Bhilwada	-	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	2.945
DTO Shahpura	-	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	2.945
DTO Pratapgarh	-	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	2.945
RTO Dausa	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Swai Madhopur	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Karauli	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Jaipur	0.39	0.29	1.245	5.00	0.20	1.60	15.00	-	2.00	-	25.725
DTO Dudu	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Kotputli	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO choumu	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Shahpura	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Jodhpur	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Phalaudi	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Jaisalmer	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Barmer	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
DTO Balotara	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205
RTO Kota	0.39	0.20	0.45	-	0.20	1.00	0.80	-	2.00	-	5.04
DTO Bundi	0.26	0.15	0.375	-	0.15	-	0.60	-	1.67	-	3.205

DTO Baran	**0.26**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**3.205**
DTO Jhalawar	**0.26**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**3.205**
DTO Ramganjmand	**0.26**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**3.205**
RTO Pali	**0.39**	**0.20**	**0.45**	**-**	**0.20**	**1.00**	**0.80**	**-**	**2.00**	**-**	**5.04**
DTO Sirohi	**0.26**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**3.205**
DTO Aburoad	**0.26**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**3.205**
DTO Jalore	**0.26**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**3.205**
DTO Bhinmal	**0.26**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**3.205**
RTO Sikar	**0.39**	**0.20**	**0.45**		**0.20**	**1.00**	**0.80**	**-**	**2.00**	**-**	**5.04**
DTO Jhunjhunu	**0.26**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**3.205**
DTO Churu	**0.26**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**3.205**
DTO Sujangarh	**0.26**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**3.205**
RTO Udaipur	**-**	**0.20**	**0.45**	**-**	**0.20**	**1.00**	**0.80**	**-**	**2.00**	**-**	**4.65**
DTO Rajsamand	**-**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**2.945**
DTO Dungarpur	**-**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**2.945**
DTO Banswara	**-**	**0.15**	**0.375**	**-**	**0.15**	**-**	**0.60**	**-**	**1.67**	**-**	**2.945**
RSE HQ	**-**	**-**		**-**	**-**	**2.20**	**4.39**	**8.52**	**3.19**	**2.03**	**20.33**
Total	**12.48**	**8.34**	**20.82**	**5.00**	**8.25**	**14.80**	**51.59**	**8.52**	**92.32**	**2.03**	**224.15**

B. सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य हितधारक विभागों की कार्ययोजना

1. पी.डब्ल्यू.डी एवं एन.एच.ए.आई.

- वर्तमान सड़कों, जंक्शनों, फ्लाईओवरों एवं ब्लैकस्पोटों आदि की सड़क सुरक्षा ऑडिट कर रोड इंजीनियरिंग के दोषों को दूर करना, रोड फर्नीचर, रोड साइन, यातायात संकेतक, रोड मार्किंग को सही करना तथा जहाँ नहीं है वहाँ लगवाना।

- फुटपाथ एवं सड़क के राईट ऑफ वे के अतिक्रमण को हटाते हुए, सड़क किनारे राईट ऑफ वे में लगे होर्डिंग्स, ऑब्जेक्ट जो हैजारडस के रूप में यातायात को बाधित करते हैं उन्हें हटाने का अभियान चलाया जाना प्रस्तावित हैं। सड़क किनारे राईट ऑफ वे पर स्थित झाड़ियों, अंग्रेजी बबूल आदि को हटाने के कार्य करना।

- देसूरी की नाल 12 किमी. एस.एच–26 (जिला राजसमन्द), माउण्ट आबू (जिला सिरोही) एवं पुष्कर घाटी (जिला अजमेर) आदि घाट सेक्शन पर क्रेश बेरियर मय रिफ्लेक्टर, सोलर लाईट, रोड चौड़ी करने (वाइडनिंग), रोड इंजीनियरिंग के दोषों को दूर करना।

- प्रत्येंक जिले में कम से कम 2 प्रमाणित रोडसेफ्टी ऑडिटर तैयार करना।

- ब्लैक स्पोटों के निरीक्षण एव कारणों का विश्लेषण करने हेतु उच्च स्तरीय दुर्घटना निवारण समिति का गठन कर कार्यवाही प्रारम्भ करना।

2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- ट्रोमा केयर एवं एम्बुलेंस में प्रशिक्षित पेरामैडिकल स्टाफ डॉक्टर्स/कम्पाउण्डर्स आदि नियुक्त करना।

- भारी वाहन चालकों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दिये जाने की व्यवस्था करना ।

- सड़क दुर्घटनाओं में घायलों एवं मृतकों का रिकार्ड संधारित करना एवं घायलों की मदद करने वालों की सूची मय विवरण तैयार कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु प्रशासन को नाम भिजवाना एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रचार प्रसार करना।

- माह में 50–50 के बैच में एक दिवसीय फर्स्ट एड ट्रेनिंग की एक बैच को ट्रेनिंग दे कर ट्रेनर तैयार करना। इस हेतु चिकित्सालय/रेड़क्रोस सोसायटी द्वारा कलेण्डर जारी करना।

- राजमार्गों पर स्थित ढ़ाबा संचालकों, ऑटोंमोबाइल दुकानदारों, ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ता एवं टोलकर्मियों आदि को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग परिवहन विभाग के सहयोग से दिलाये जाने की सुनिश्चितता करना।

- गुड सेमेटेरियन एवं इमरजेन्सी मेड़िकल सेवा का प्रचार–प्रसार होर्डिंग आदि लगाकर करना।

3. स्थानीय निकाय विभाग (नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम एवं जे.डी.ए/ए.डी.ए)

- फुटपाथों का निर्माण, फुटपाथों पर अतिक्रमण को हटाना, रोड मार्किंग, रोड साइनेज लगवाना, ट्रैफिक लाईट को दुरूस्त करवाना या जहां आवश्यक हो वहां नई लगवाना।
- पब्लिक एवं प्राइवेट पार्किंग विकसित कर परिवहन यानों को ऐसी पार्किंग स्थलों पर खड़ी करने हेतु पाबंद करना। पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करना प्रस्तावित है।
- सार्वजनिक परिवहन सेवा हेतु यात्रियों के सुविधार्थ स्तरीय बस शेल्टर/स्टोपेज का निर्माण करना एवं ट्रेवल्स इन्फोंमेशन सिस्टम विकसित करना।

4. पुलिस विभाग

- सड़क सुरक्षा से संबंधित यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रवर्तन का व्यापक कार्य करना।
- सड़क दुर्घटनाओं के डेटा का संग्रहण करना एवं उनका अनुसंधान एवं विश्लेषण कर पुर्नसंरचना का कार्य करना।
- 4–6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गो पर लेन ड्राइविंग को निर्धारित नियमों का बोर्ड (प्रत्येक 20 किमी. की दूरी पर) का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से प्रर्दशित कर प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाना।
- सड़क उपयोगकर्ताओं को विभिन्न टार्गेट ग्रुप बना कर सड़क सुरक्षा के प्रति शिक्षित एवं जागृत करना।
- पूरे राज्य में दोपहिया वाहन चालकों/सवारी पर हेलमेट की अनिवार्यता को लागू करना एवं व्यापक रूप से प्रवर्तन का कार्य सुनिश्चित करना।
- ब्लेकस्पोटो को चिन्हित कर PWD/NHAI को दुरूस्त करने हेतु अनुशंषा करना।
- प्रत्येक जिले में साइंस/अभियांत्रिकी योग्यताधारी अनुभवी पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रमाणित सड़क सुरक्षा अनुसंधानकर्ता तैयार करना।

5. पंचायत राज विभाग

- सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होनें वालों में 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं। अतः समय–समय पर सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं जागृति शिविर/पंचायत लगाया जाना प्रस्तावित है ताकि इस प्रतिशत को कम किया जा सके।
- गाँवों में हुई बड़ी सडक दुर्घटनाओं का विवरण मय कारण एवं विश्लेषण के ग्राम पंचायत के बाहर प्रदर्शन करना ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
- पंचायत समिति स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा सलाहकार एवं कार्यकारी समितियों का गठन कर प्रभावी कार्यवाही करना।

- परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं जागृति शिविरों का आयोजन अटल सेवा केन्द्रों पर करना ताकि ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा की गम्भीरता पर जागरूक किया जा सके।
- परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा मेलों/कार्निवाल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रत्येक परिवहन जिलों में आयोजन करना।

6. **शिक्षा विभाग**

- सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम को स्कूल/कॉलेजों में संचालित करना।
- रोड सेफ्टी क्लबों की स्थापना करना, 100 प्रतिशत गतिविधियों का वार्षिक कलेण्डर जारी किया जाना सुनिश्चित करना एवं विश्वविद्यालयों में सड़क सुरक्षा विषय पर प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/UG-PG डिग्री/पी.एच.डी कोर्स प्रारम्भ करने की दिशा में कार्य करना।
- छात्र–छात्राओं को सड़क सुरक्षा शिक्षा मिशन से जोड़कर कार्यक्रम आयोजित करवाना।
- सड़क सुरक्षा विषय पर शोध को बढ़ावा देने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना।
- कोटा खुला विश्वविद्यालय में सड़क सुरक्षा विषय पर प्रमाण पत्र एवं पीजी डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
- टेक्नीकल यूनिवर्सिटी कोटा में सिविल इन्जीनियरिंग(रोड सेक्शन), ओटोमोबाइलिंग इन्जीनियरिंग व इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंजीनियरिंग का नियंत्रित मिश्रित कोर्स '' ट्रैफिक इंजीनियरिंग '' प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

7. **आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग**

सड़क दुर्घटनाओं में भारत में प्रतिदिन औसत 400 व्यक्ति एवं राजस्थान राज्य में प्रतिदिन औसत 30 व्यक्ति मारे जा रहे हैं। तथा कई गुना व्यक्ति घायल हो जाते हैं। जो एक बहुत बड़ी आपदा हैं। आपदा प्रबन्धन विभाग सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्ड़िग के द्वारा सड़क सुरक्षा प्रशिक्षक, सड़क सुरक्षा शिक्षक फस्ट एड ट्रेनर, सड़क दुर्घटना अनुसंधानकर्त्ता एवं विश्लेषक, सड़क सुरक्षा अकेंक्षक, सड़क सुरक्षा रिसर्चर का प्रशिक्षण दिलाकर इस हेतु मानव ससांधन तैयार किया जाना प्रस्तावित हैं।

8. **राज्य सरकार के उपक्रम (राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम)**

- सभी वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवाना।
- वाहन चालक/परिचालकों का फर्स्ट एड ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करना।
- पिछले 5 वर्षों में नो एक्सीडेन्ट वाले ड्राईवर को रिवार्ड देना।
- सड़क सुरक्षा वर्ष 2015–16 में सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रचार अभियान में प्रत्येक बस पर स्थान नियत कर प्रचार–प्रसार का फ्लेक्स लगवाना।
- प्रत्येक पंचायत समिति में 500 से अधिक आबादी के परिवहन सेवा से वंचित गांवों के लिए नये ऐसे मार्ग खुलवाना जो ऐसे सभी गांवो को कवर कर सके तथा अवैध वाहनों की स्वतः रोकथाम हो सके।

• अन्य हितधारक विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रम

- **प्रमाणित सड़क सुरक्षा अंकेक्षक तैयार करनाः–** राज्य की वर्तमान सड़कों, जंक्शनों एवं ब्लेक स्पॉटों की ऑडिट करने हेतु पी.डब्ल्यू.डी के अनुभवी अभियंताओं का जिला स्तर पर दो–दो प्रमाणित सड़क सुरक्षा ऑडिटर तैयार किया जाना प्रस्तावित हैं।
- **सड़क दुर्घटना अनुसंधान कर्ता तैयार करनाः–** सड़क दुर्घटनाओं के वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रत्येक जिले में दो–दो प्रमाणित सड़क सुरक्षा अनुसंधानकर्ता तैयार किया जाना प्रस्तावित हैं।
- **प्रमाणित सड़क सुरक्षा शिक्षक तैयार करनाः–** परिवहन विभाग तथा पुलिस एवं दाण्डिक विश्वविद्यालय जोधपुर के सेन्टर फोर रोड़ सेफ्टी, जयपुर द्वारा 1650 शिक्षकों को प्रमाणित सड़क सुरक्षा शिक्षक तैयार किया जाना प्रस्तावित हैं।
- **व्यावसायिक भारी वाहन चालकों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग–**AL IDTR Railmagra & IIFS Driving Institute, Ajmer में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से उक्त 5000 वाहन चालकों को **रिफ्रेशर ट्रेनिंग** दिया जाना प्रस्तावित है।
- **टू व्हीलर एम्बूलेस** – राजस्थान में घायल को समय पर प्राथमिक एवं मेडिकल सहायता नही मिल पाने के कारण मृत्यु दर बढ़ रही है इसके लिए टू व्हीलर एम्बुलेंस का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसका समस्त खर्चा एवं संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
- **फर्स्ट एड ट्रेनर्स ट्रेनिंग** – सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद हेतु राजमार्गों के आस–पास स्थित ग्रामीणों, टोल कर्मियों, ढ़ाबा संचालकों आदि को एक दिवसीय फर्स्ट एड की ट्रेनिंग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है।
- **गुड सेमेटेरियन एवं इमरजेन्सी सेवा का होर्डिंग/फलेक्स इत्यादि द्वारा प्रचार–प्रसार** – स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत कार्यालय निदेशालय IES (Emergency service) जयपुर द्वारा भी राज्य में सरकारी एवं गैर सरकारी होर्डिग्स पर सड़क दुर्घटनाओं में घायलो की मदद से सम्बन्धित प्राबधानों एवं गुड़ सेमेटेरियन का प्रचार प्रसार किया जाना प्रस्तावित हैं।

• अन्य विभागों के प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. प्रमाणित सड़क दुर्घटना अनुसंधानकर्ता प्रशिक्षण (5 Days)

वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं का प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ता उपलब्ध न होने के कारण का वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान नहीं हो पा रहा है जिससे सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का विश्लेषण भी नहीं हो पा रहा है। उक्त प्रशिक्षण पूणतः तकनीकी प्रवृति(Physics, Dynamics, Engineering) का होने कारण इसका प्रशिक्षण B.Sc/Diploma/ Degree in automobile/ Mechanical Engineering योग्यता रखने वाले अनुभवी (न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव) कार्मिकों को दिलवाया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष राज्य के 33 जिलों में प्रत्येक में 2 सड़क दुर्घटना अन्वेषक तैयार करने हेतु प्रस्ताव है जिसके लिये प्रत्येक जिले से 2 मोटर वाहन निरीक्षकों (कुल 60) को नामित कर 20–20 के बैच में उक्त 5 दिवसीय प्रशिक्षण आई.आर.टी.ई., गुड़गांव (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित) या सेंटर फोर रोड सेफ्टी SPUP जोधपुर के कॉलिजन

फोरेन्सिक सॉल्यूशन, यूएसए के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर में कराया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये आवश्यक बजट का विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	कुल जिले	नामित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	20–20 के कुल बैच	प्रति बैच फीस, लॉजिंग & बॉर्डिंग सहित कुल खर्चा	कुल राशि
1	33	60	3	600000	1800000

इस प्रकार राज्य में 60 सड़क दुर्घटना अनुसंधानकर्ता तैयार करने में 18 लाख की अनुमानित राशि व्यय होगी। उक्त राशि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के सड़क सुरक्षा कैपेसिटी बिल्डिंग के आपदा फंड से प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त राशि आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति के उपरांत कराया जाना प्रस्तावित है।

2. . प्रमाणित सड़क सुरक्षा अंकेक्षक प्रशिक्षण (By IRF & ARRB (5 Days))

इस वर्ष राज्य के 33 जिलों में प्रत्येक में 2 प्रमाणित सड़क सुरक्षा अंकेक्षक तैयार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित है जो ऑडिट टीम के रूप में संभाग/जिला स्तर पर वर्तमान सड़कों, जंक्शनों, फ्लाईओवर, ब्लैकस्पॉटों आदि की सड़क सुरक्षा ऑडिट कर रोड इंजीनियरिंग के दोषों को ज्ञात कर उन्हें दूर करने की अनुशंसा करेंगें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता स्तर के सिविल इंजीनियर जिन्हें न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सड़क फेडरेशन एवं ऑस्ट्रेलियन रोड रिसर्च बोर्ड के माध्यम से सी.आर. आर.आई दिल्ली में पांच दिवसीय सड़क सुरक्षा अंकेक्षक प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है जिसमें प्रत्येक जिले से दो अभियंता नामित किए जाकर कुल 66 रोड सेफ्टी ऑडिटर तैयार किए जाने प्रस्तावित है।

सड़क सुरक्षा अंकेक्षक प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अनुमानित बजट

क्र.सं.	कुल जिले	प्रत्येक जिले से प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल प्रशिक्षणार्थी	33–33 के कुल बैच	प्रत्येक बैच की फीस	कुल राशि
1	33	2	66	2	1980000	39,60,000

नोटः उक्त राशि 39,60,000 रूपये सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान द्वारा वहन की जाऐगी।

3. Certified Road Safety Teacher's Training By Center for Road Safety, SPUP Jodhpur (5 Days)

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान)

राज्य के स्कूलों में सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। छात्र–छात्राओं को सड़क सुरक्षा विषय को प्रभावी एवं व्यापक समझ के साथ शिक्षण दिये जाने के लिये प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक प्रमाणित सड़क सुरक्षा शिक्षक का होना अनिवार्य है। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के जयपुर स्थित सेंटर फॉर रोड सेफ्टी द्वारा राजसमंद में पॉयलेट प्रॉजेक्ट के रूप में सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण का सफल

कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। इसी तर्ज पर उक्त केन्द्र 5 दिवसीय प्रमाणित सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस वर्ष राज्य के 33 जिलो में प्रत्येक जिले से 50–50 शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जाकर प्रमाणित सड़क सुरक्षा शिक्षक तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु उक्त विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर रोड सेफ्टी द्वारा अनुमानित बजट का प्रस्ताव दिया गया है जो इस प्रकार हैः–

PROPOSED BUDGET FOR CAPACITY BUILDING OF TEACHERS TO REDUCE ROAD ACCIDENTS IN RAJASTHAN			
	FINANCIAL IMPLICATIONS		
Sr.No	**Component**	**Name of Activity**	**Unit in cost**
I	**Trainings**		
A	**Training of Trainers at Divisions (50 Trainees)**	**5 days**	
1	Training Kit including Bag, Pen, Diary, Course	Rs. 400*50	20000
	Material, PPT CDs etc		
2	Lodging & Boarding	Rs. 500*50*5	125000
3	Refreshments: Lunch/Dinner/Tea to Trainees	Rs. 350*50*5	87500
4	Trg. Arrangements at site	Rs. 5000*5	25000
5	Honar To Resource Persons	Rs. 1000 *40	40000
6	TA to Resource Persons	lum sum	15000
7	Evaluation & Documantation Expenses	lum sum	10000
8	Miscll Expenses	lum sum	5000
	Total		327500
	Total 66 Trainings in Division Hdq.	327500*33	10807500
	Total Cost		10807500
II	**Overhead Expenses ** @ 5%**		540375
	Total Budget Estimate		11347875
	Round Off Total Budget Estimate		11350000

इस प्रकार राज्य के 33 जिलों में 1650 प्रमाणित सड़क सुरक्षा शिक्षक (50 शिक्षक प्रति जिला) तैयार करने में 1,13,50,000 रूपयों की राशि व्यय होगी। शिक्षकों को TA/DA शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है।
उक्त राशि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के आपदा फंड के रोड सेफ्टी कैपेसिटी बिल्डिंग फंड से कराया जाना प्रस्तावित है।

4. व्यावसायिक भारी वाहन चालकों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग

इसमें कोई शक नहीं है कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे बड़ी भागीदारी ड्राईवर के व्यवहार की होती है। इसके लिए आवश्यक है कि ट्रेनिंग द्वारा ड्राईवर्स के व्यवहार व सोच को बदला जाये।

AL IDTR Railmagra & IIFS Driving Institute, Ajmer में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से उक्त ट्रेनिंग दिया जाना प्रस्तावित है।

उद्देश्य–

- सडकों पर अनुभवी चालकों के खतरनाक चालन को रोकना।
- चालकों की नकारात्मक सोच को बदलना।
- सड़क के कानून और सड़कों के नये बदलाव जैसे रोड मार्किंग व सिग्नल के प्रति चालकों को जागरुक करना।
- सड़क सुरक्षा के वर्तमान परिदृश्य से चालकों को अवगत कराना।
- शराब पीकर वाहन चलानें के खतरे के बारे में चालकों को अवगत कराना।

टार्गेट ग्रुपः– राज्य में मार्च 2015 तक पंजीकृत व्यवसायिक वाहन जो लगभग 8,51,000 है जिसमें से इस वर्ष 5,000 चालकों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाना प्रस्तावित है। प्राथमिकता बालवाहिनी ड्राईवर्स, टैंकर चालक, बस/ट्रक चालक को दी जानी है।

सिलेबस :–

- Behavioural Practices & stress management
- Defensive Driving Techniques
- Traffic Rules and Regulations
- Emergency handling techniques
- Maintenance & fuel conservation
- Pollution and environment
- Case studies on accidents to analyse the cause of accident, who was at fault and how it could have been averted

Expenditure for One Driver By MORTH

S.No.	Description	Amount
1.	Cost of Banners, course material and certificates, classroom pratctical facilities, hiring/maintenance of audio video equipment, honorarium for lectures for meeting local travelling expenses and photographs etc.	300
2.	Insurance Premium @ Rs. 1 Lakh per annum per driver	75
3.	Medical checkup, Eye Testing, Blood Group	125
4.	Incentive per driver for 2 days	250
5.	Expenses per driver for Lunch & Tea for 2 days	200
	Total	**950**

Budget for Driver training (two days) 50 driver/batch

Sno	Name Of the Institutions	Quantity	Total Batch	Rate per batch	Amount
1	IDTR Railmagra	2500	25	47500	11,87,500/-
2	IIFS Driving Institute, Ajmer	2500	25	47500	11,87,500/-
	Total	**5000**	**50**	**47500**	**23,75,000/**

इस प्रकार 5000 ड्राइवरों को 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग AL IDTR Railmagra & IIFS Driving Institute, Ajmer में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें 5000 ड्राइवरों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने में 23,75,000 रूपये व्यय होंगे। दोनो संस्थानों से प्रस्ताव मय प्रोग्राम शिड्यूल प्राप्त किया जा कर भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को विभाग की ओर से भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

5 . टू–व्हीलर एम्बूलेंस संकल्पना के पायलेट प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक बजट :–

(राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान)

डॉक्टर्स के अनुसार दुर्घटना होने के बाद का एक घंटा जिसे गोल्डन ऑवर कहा जाता है, के अंदर घायल को मेडिकल उपचार मिल जाये तो उसकी जान 80% तक बचाई जा सकती है लेकिन जयपुर के एसएमएस अस्पताल के अनुसार 24% पीड़ित ही समय पर अस्पताल पहुंच पाते है। उदयपुर में यह आंकड़ा और भी कम है 10% से भी कम लोगों को दुर्घटना के बाद के एक घंटें के अंदर अस्पताल पहुंचाया जाता है। दुर्घटना के बाद के 10 मिनट प्लेटिनम ऑवर कहलाते है जिसमें सही प्राथमिक सहायता देकर पीड़ित की जान बचाई जा सकती है।

इस समस्या से उबरने के लिए बैंगलरु ने टू व्हीलर एम्बुलेंस की सेवाओं की शुरुआत की है। शहरी इलाकों में व हाइवे पर जहां 108 का समय पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता वहां इस तरह की सेवाएं निश्चित रुप से फायदेमंद साबित होगी। इसे 108 सेवाओं के साथ जोड़ा गया है। इसके संचालन के लिए पेरामेडिकल स्टॉफ को नियुक्त किया है जो पीड़ित के पास पहुंच कर उसे उचित प्राथमिक सहायता देती है और अस्पताल पहुंचाने में मदद करती है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध दो एम्बुलेंस का निर्माण किया जा सकता है। इसमें 40 इमरजेंसी उपकरण लगे होते है जिसमें स्टेथोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर और IV सेलाइन व कई इमरजेंसी दवाएं होती है।

फायदा –

निश्चित रुप से यह पीड़ित को इमरजेंसी प्राथमिक सहायता देने के लिए फायदेमंद होगी। हाइवे व शहरी ट्रेफिक में कई बार हमारी 108 एम्बुलेंस फंस जाती है समय पर नहीं पहुंच पाती वहां इस तरह की बाइक जल्दी पहुंच सकती है और हमारे यहां जनता की जागरुकता की कमी है वहां यह समय पर पहुंच कर घायल की जान बचा सकती है।

लागत –

प्रत्येक बाइक एम्बूलेंस की लागत लगभग 2 लाख रु है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपने बजट में से इस वर्ष जयपुर परकोटा में 4 एवं शेष 6 संभाग मुख्यालयों पर अर्थात कुल 10 टू–व्हीलर एम्बूलेंस पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में अपने स्वयं के पैरामेडिकल स्टॉफ द्वारा परिचालन लागत के साथ चलाया जाना प्रस्तावित है

1. **फर्स्ट एड ट्रेनर्स ट्रेनिंग :–**
   सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद हेतु राजमार्गों के आस–पास स्थित ग्रामीणों, टोल कर्मियों, ढ़ाबा संचालकों आदि को एक दिवसीय फर्स्ट एड की ट्रेनिंग स्वास्थ्य विभाग/रेड़क्रोस के द्वारा सानिध्य में अनुभवी N.G.O/रेड़क्रोस सोसायटी इत्यादि के माध्यम से प्रत्येक परिवहन जिले से 50–50 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। भारी वाहन चालकों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दिये जाने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

2. **गुड सेमेटेरियन एवं इमरजेन्सी सेवा का होर्डिंग/फलेक्स इत्यादि द्वारा प्रचार–प्रसार :–**
   स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत कार्यालय निदेशालय IES (Emergency service) जयपुर द्वारा भी राज्य में सरकारी एवं गैर सरकारी होर्डिग्स पर सड़क दुर्घटनाओं में घायलो की मदद से सम्बन्धित प्राबधानों एवं गुड़ सेमेटेरियन के प्रचार प्रसार के लगभग 100 फलेक्स अलग से डीपीआर दरो पर लगाया जाना प्रस्तावित हैं।

Table - B

Budget for Action Plan PWD, Health Dept and MORTH New Delhi

S.No	Name Of the Programme	No of Participants/ Quantity	Total Batch	Rate Per Batch	Total Amount (Rs.)	Remark
1.	Certified Road Safety Auditors Training By IRF & ARRB (5 Days)	66	2	1980000	39,60,000	*Bear By the PWD*
2.	Investigation of Traffic Accidents Training (5 Days)	60	3	600000	1800000	*Bear By Disaster Mangag ement & Relilef Dept*

3.	Certified Road Safety Teachers Training by CRS, SPUP, Jodhpur(5 days)	1650	33	343940	1,13,50,000	*Bear By Disaster Mangag ement & Relilef Dept*
4.	Refresher Training for Commercial Driver (two days) at IDTR/ILFS	5,000	50	47,500	23,75,000	*Bear by MORTH govt of India*
5.	Two Wheeler Ambulance	66	2 Ambulance Each Dist.	2,00,000	20,00,000	*Bear By NHM Health Dept*
Total					**2,14,85,000**	

C- निजी सस्थानों के स्वंय के खर्चे पर प्रशिक्षण/ऑड़िट

- **अधिकृत फिटनेस सेंटर्स के निरीक्षण प्राधिकारियों को प्रशिक्षण –** राजस्थान मे कुल 35 फिटनेस सेंटर अधिकृत किये गये हैं। जिनके निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले इंजीनियरों को स्वयं के खर्चे पर प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है।
- **ड्राइविंग स्कूल के संचालकों व अनुदेशकों को प्रशिक्षण –** राज्य में लगभग 441 मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालित है जिनके अनुदेशकों/संचालकों को एक दिवसीय सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण 50–50 के बैच में 882 अनुदेशकों व ड्राइविंग स्कूल के संचालको को जयपुर में OTS/RPA में स्वयं के खर्चे पर प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।
- **निजी फिटनेस सेंटरो की ऑडिट करवानाः–** राज्य के सभी निजी फिटनेस सेन्टरों की सक्षम तृतीय एजेन्सियों से स्वयं के खर्च पर ऑडिट करवाया जाना प्रस्तावित है।
- **मोटर ड्राईविंग स्कूलों की ऑडिट करवाना :–** राज्य के सभी मोटर ड्राईविंग स्कूलों एकी सक्षम तृतीय एजेन्सियों से स्वयं के खर्च पर ऑडिट करवाया जाना प्रस्तावित है।
- **निजी अस्पतालो द्वारा घायलों की मदद का प्रचार–प्रसार एवं फर्स्ट एड ट्रेनिंग :–** निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित कर सड़क दुर्घटनाओं मे घायलों की मदद एवं गुड सेमेटेरियन को प्रोत्साहित करने में सहयोग लिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही फस्ट एड ट्रेनर लिया जाना प्रस्तावित हैं।

निजी सस्थानों के स्वंय के खर्चे पर प्रशिक्षण/ऑड़िट हेतु अनुमानित बजट

1. अधिकृत फिटनेस सेंटर्स के निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्यरत इंजीनियरों को प्रशिक्षण

राजस्थान मे कुल 35 फिटनेस सेंटर अधिकृत किये गये हैं। जिनके निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले ऑटोमोबाईल/मैकेनिकल डिग्री/डिप्लोमाधारी इंजीनियरों को वाहनों में लगे सड़क सुरक्षा उपकरणों (Devices) एवं AIS Standards की पालना की सुनिश्चित्ता हेतु केन्द्रीय

मोटरवाहन नियम की टैक्निकल स्टैंडिग कमेटी/ARAI Pune/ICAT मानेसर के अनुभवी प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है।
राज्य के अधिकृत फिटनेस सेंटरो का विवरण सूची 2 के साथ अवलोकनार्थ संलग्न है–

Budget for Inspecting Authority of Pvt Fitness Centre Training (35/ batch)

Sno	Item	Rate	Quantity/ batch	Amount/ batch	Total
1	Study material	200/-	35 nos	7000/-	
2	Refreshment	100/-	35 nos	3500/-	
3	Stationary & Printing		35 nos	1500/-	
4	Faculty and TA		2	10000/-	
5	Training Hall OTS/RPA		1	13000/-	
5	Total/ batch		1 batch	35000/-	35000/-

नोटः सभी फिटनेस सेंटर के निरीक्षण प्राधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। फिटनेस सेंटर के स्वामी द्वारा उक्त राशि वहन किया जाना प्रस्तावित है।

2. ड्राइविंग स्कूल के संचालकों/अनुदेशकों का प्रशिक्षण

सतत सड़क सुरक्षा के लिए वर्तमान में चल रहे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के स्तर को सुधारने की आवश्यकता है। पहली चरण की सही ट्रेनिंग से भविष्य के चालकों की स्थिति सुधारी जा सकती है। सुरक्षित व्यवहार और सोच जैसे हेलमेट व सीटबेल्ट का प्रयोग, मोबाईल का इस्तेमाल नहीं करना, गति नियंत्रित रखना आदि आदतें प्रारम्भ में ही सही की जा सकती है। दुर्भाग्य से वर्तमान के ड्राइविंग इंस्टीट्यूट इन पर खरे नहीं उतरते। इस समस्या को इन इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग से सुधारा जा सकता है। राज्य में 441 मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालित है जिनके अनुदेशकों/संचालकों को एक दिवसीय सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण 50–50 के बैच में कुल 882 को जयपुर में OTS/RPA में दिया जाना प्रस्तावित है।
राज्य के ड्राइविंग स्कूलों का विवरण सूची 3 के साथ अवलोकनार्थ संलग्न है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में 441 अनुदेशक व 441 ड्राइविंग स्कूल संचालकों को ट्रेनिंग दी जायेगी।

लक्ष्य –
सभी ड्राइविंग स्कूलों के अनुदेशक व संचालक
उद्देश्य –

- ड्राइविंग स्कूल के अनुदेशकों के प्रशिक्षण स्तर को सुधारना।
- अनुदेशकों में आवश्यक क्षमताओं को विकसित करना।
- अनुदेशकों की मानसिकता को बदलना।
- गति सीमा व कानून के प्रति उनमें सकारात्मक सोच को विकसित करना।

Budget for Driving school Instructors Training (50/ batch)

Sno	Item	Rate	Quantity/ batch	Amount/ batch	Total
1	Study material	100/-	50 nos	5000/-	250000
2	Refreshment	100/-	50 nos	5000/-	250000
3	Stationary & Printing		50 nos	2000/-	100000
4	Faculty and TA		4	8000/-	32000
5	Training Hall OTS/RPA		1	10000/-	10000
	Total/ batch		18 batch	30000/-	6,42,000/-

ड्राईविंग स्कूल अनुदेशकों/संचालकों की ट्रेनिंग में **18** बैच के लिये 642000 रूपये की राशि वहन किया जाना प्रस्तावित है जो स्कूल संचालकों द्वारा ही वहन की जायेगी।

Major components of Training:

- *Scenario of road safety*
- *Causes of accidents: Drunken driving, mobile, speeding, overcrowding, overloading etc.*
- *Tips to remain safe on roads: Helmet, seat belt, right of way, traffic lights, traffic signage etc.*
- *Rules of Road*
- *Practical Training*
- *Vehicle Maintenance*
- *First aid training*
- *Real life case studies*

3. निजी फिटनेस सेन्टर्स की ऑडिट एवं आवश्यक बजट (भारत सरकार से अनुमोदित तृतीय सक्षम एजेन्सी से)

राज्य में 35 अधिकृत निजी फिटनेस सेंटरर्स स्वीकृत है जिनमें से 25 संचालित एवं 10 निलंबित है। राज्य के निजी फिटनेस सेन्टरों की सक्षम तृतीय एजेन्सियों (CIRT Pune/ARAI Pune/NetPack/ICAT) आदि से स्वयं के खर्च पर ऑडिट करवाया जाना प्रस्तावित है। जिनका अनुमानित खर्चा इस प्रकार हैः–

रीजन	परिवहन जिले का नाम	फिटनेस सेन्टर			प्रति सेन्टर के लिए आवश्यक राशि	कुल राशि
		स्वीकृत	संचालित	निलम्बित		
अलवर	अलवर	1	1	–	2,00,000	2,00,000
	भिवाड़ी	1	1	–	2,00,000	2,00,000
भरतपुर	भरतपुर	1	0	1	2,00,000	2,00,000

	धौलपुर	2	1	1	2,00,000	4,00,000
अजमेर	अजमेर	3	1	2	2,00,000	6,00,000
	नागौर	2	1	1	2,00,000	4,00,000
बीकानेर	बीकानेर	2	2	—	2,00,000	4,00,000
	हनुमानगढ़	2	1	1	2,00,000	4,00,000
	गंगानुगर	2	1	1	2,00,000	4,00,000
चित्तौडगढ़	चित्तौड़गढ़	1	0	0	2,00,000	2,00,000
	भीलवाड़ा	2	1	1	2,00,000	4,00,000
दौसा						
जयपुर	जयपुर	3	3	1	2,00,000	6,00,000
	कोटपुतली	1	0	1	2,00,000	2,00,000
जोधपुर	जोधपुर	4	4	0	2,00,000	8,00,000
	फलौदी	1	1	0	2,00,000	2,00,000
	बाड़मेर	1	1	0	2,00,000	2,00,000
	बालोतरा	1	1	0	2,00,000	2,00,000
कोटा	कोटा	1	1	0	2,00,000	2,00,000
पाली						
सीकर	झुंझुंनू	1	1	0	2,00,000	2,00,000
	चूरू	1	1	0	2,00,000	2,00,000
उदयपुर	उदयपुर	2	2	0	2,00,000	4,00,000
कुल		35	25	10		70,00,000

कुल आवश्यक अनुमानित बजट राशि 2,00,000 फीस रू प्रति फिटनेस सेन्टर जिसमें लॉजिंग बॉर्डिंग एवं टीए, डीए आदि शामिल नहीं है। इस प्रकार सभी फिटनेस सेन्टर्स की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तृतीय सक्षम एजेन्सी से कराया जाना प्रस्तावित है।

नोटः उक्त राशि संबंधित फिटनेस सेंटर द्वारा वहन की जायेगी। प्रत्येक फिटनेस सेंटर पर भारत सरकार की इस निमित अधिकृत एजेंसी ए.आर.ए.आई पूने/सी.आई.आर.टी पूने/आई.केट मानेसर/नेट पैक, नई दिल्ली/ टेक्नीकल स्टेण्डिंग कमेटी टीम द्वारा प्रतिवर्ष ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा।

4 मोटर ड्राइविंग स्कूलों की भारत सरकार के अनुमोदित संस्थानों से थर्ड़ पार्टी ऑड़िट हेतु अनुमानित बजट–

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मत्रांलय नई दिल्ली के द्वारा जारी एक्शन प्लान के अनुसार मोटर ड्राइविंग स्कूलों का थर्ड़ पार्टी ऑडिट कराया जाना अनिवार्य हैं। राज्य में कुल लगभग 441 मोटर ड्राइविंग स्कूल हैं। जिनकी थर्ड़ पार्टी ऑड़िट कराने में भारत सरकार की अनुमोदित एजेंन्सियों द्वारा अनुमानित 20,000 रूपये प्रति स्कूल की दर से ऑड़िट स्वंय के खर्चे पर कराया जाना प्रस्तावित हैं।

5. निजी अस्पतालो द्वारा घायलों की मदद का प्रचार–प्रसार एवं फर्स्ट एड ट्रेनिंग :– निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित कर सड़क दुर्घटनाओं मे घायलों की मदद एवं गुड

सेमेटेरियन को प्रोत्साहित करने में सहयोग लिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही फस्ट एड ट्रेनर लिया जाना प्रस्तावित हैं। राजमार्गो पर स्थित निजी अस्पतालो को सूचीबद्ध कर उन्हे इस मिशन में सहयोग हेतु भागीदार बनाया जाना प्रस्तावित है।

Table - C

Estimated Budget for Training & Audit of Authorized Private Fitness Centre and Motor Driving Schools

S.No	Name Of the Programme	No of Participants/Quantity	Total Batch	Rate Per Batch	Total Amount (Rs.)	Remarks
1.	Fitness Centres Inspecting authorities's Training	35	1	35,000	35,000	*Bear by Fitness Center Operator*
2.	Driving School Instructor's Training	882	18	30,000	5,40,000	*Bear by Motor Driving Schools Operators*
3.	Private Fitness Center Audit by Third Party	35	-	2,00,000 per fitness centre	70,00,000	*Bear by Fitness Centers Operators*
4.	Driving School Audit by Third Party	441	1	20,000	88,20,000	*Bear by Motor Driving School Owner*
Total					**1,63,95,000**	